NSC	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड -भारत सरकार का उपक्रम) मिनिरत्न कम्पनी(बीज भवन, पूसा परिसर नई दिल्ली 012 110- फैक्स25846462 -011 - केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.) फैक्स-01509-238027	**NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED** (A Government of India Undertaking) **(CIN : U74899DL1963PLC003913)** **BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX** **NEW DELHI-110 012 (INDIA)** Website: www.indiaseeds.com PHONES : 25842383,25846272 , 25842692, 25846295 e-mail – nsc@indiaseeds.com **CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH** **PHONES:** (01509-238027, 238056 (Office) Tele – Fax :- 01509-238027 e-mail – directorcsfsrg@gmail.com

File No. CSF/SRG/Horti/Nursery(4) /2024-25 Dated: 16.07.2024

The last date of the tender for **Propagation of Nursery saplings of various flower and fruits at CSF, Sardargarh** has been extended due to administrative reasons upto 26.07.2024. The terms conditions of the tender will be remain same as previous. Please check NSCL Website and https://indiaseeds.enivida.com for more information.

Enclosed New tender KIT.

Farm Head

Digitally signed by SUDHIR KUMAR TOMAR
Date: 2024.07.19 15:59:53 IST

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड -भारत सरकार का उपक्रम) मिनिरत्न कम्पनी(बीज भवन, पूसा परिसर नई दिल्ली 012 110- फैक्स25846462 -011 - केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.) फैक्स-01509-238027	**NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED** (A Government of India Undertaking) **(CIN : U74899DL1963PLC003913)** **BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX** **NEW DELHI-110 012 (INDIA)** Website: www.indiaseeds.com PHONES : 25842383,25846272 , 25842692, 25846295 e-mail – nsc@indiaseeds.com **CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH** **PHONES:** (01509-238027, 238056 (Office) Tele – Fax :- 01509-238027 e-mail – directorcsfsrg@gmail.com

क्रमांकः – सर./उद्यान/4(नर्सरी)/2024–25 दिनांकः –

वर्ष 2024–25 में फलदार, फुलवारी व वानिकी पौधे तैयार करने हेतु नियम व शर्ते

1. प्रत्येक निविदादाता/बोलीदाता को निविदाऐं/बोली देने से पूर्व रूपये 25000.00 (रुपये पच्चीस हजार मात्र) धरोहर राशि के रूप में पूर्ण हस्ताक्षर सहित फार्म खंजाची के पास बैंक ड्राफ्ट जो कि **National Seeds Corporation Ltd, Sardargarh, payable at Suratgarh** के नाम देय हो जमा करवानी होगी अथवा पोर्टल के माध्यम से अथवा निविदादाता को स्वयं के खाते से राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सरदारगढ़ के खाता संख्या 34032829868 (भारतीय स्टेट बैंक, सूरतगढ़) में **ऑनलाइन** जमा करवाना होगा ।
2. असफल बोलीदाता की धरोहर राशि नियमानुसार बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी तथा सफल बोलीदाता की धरोहर राशि जमा कर ली जायेगी। जो कि संतोषजनक कार्य के पूरा होने पर लौटा दी जायेगी। फार्म इस धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं देगा।

सफल बोलीदाता/निविदादाता को पौधा तैयार करने हेतु निम्न कार्य कराने होगें:

3. निम्बू वर्गीय पौधों जैसे किन्नो, मोसम्बी, माल्टा इत्यादि पौधे बनाने के लिए तैयार खट्टी के पौधों पर अगस्त– सितम्बर एवं फरवरी–मार्च माह में बाग के नर्सरी में स्थित मातृ पौधों से रोगमुक्त बड़स्टिक लेकर बडिंग करके, 9 इंच का पौधा तैयार करके देने होंगे।
4. अमरूद के देसी पौधों को पोलीथीन बैग में लगाना व लगाये गये पौधे को पेंसिल के आकार में होने पर वेज ग्राफ्टिंग करना, 6–9 इंच की उचाई तक पौधे तैयार करना, मुलवृन्त से ऊपर का सायन भाग कम से कम एक फीट होना चाहिए। तैयार अमरूद के पौधे निकाल कर ग्रीन हाउस में शिफ्ट करने के 25 दिन के वाद भुगतान हेतु गिनती की जायेगी।
5. अमरूद के पौधे तैयार करने के लिय दाब लेयरिंग/वैज ग्राफ्टिग विधि से अगस्त–सितम्वर तथा फरवरी–मार्च में एवं आम के पौधों की वेज ग्राफ्टिंग विधि से अगस्त– सितम्बर महीने में करनी होगी व निराई गुडाई इत्यादि सभी कार्यों सहित पूर्ण करने होंगें। ऑवले के 50% पौधे जमीन में तथा 50% थैलियों में तैयार करने होंगे। रूट स्टोक तैयार करने का कार्य स्वयं तथा समय से करना होगा ।
6. करौदा, लसौडा, वेलपत्र इत्यादि बीज/कटिंग से पौधे तैयार करके पोलोथीन बैग में भरना, बीज/कटिंग लगाना, सिचाई निराई गुडाई करना एवं पौधा 9 इंच से 1 फुट का तैयार करके देना होगा।
7. सभी तरह के विधियों जैसे बीज, कटाई, बडिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग इत्यादि से तैयार पौधों की गिनती 9 इंच या उससे अधिक ऊंचाई होने पर ही की जाएगी व ठेकेदार को कार्य का भुगतान फार्म समिति द्वारा सत्यापित 9 इंच या उससे अधिक ऊंचाई वाले पौधों की गिनती के बाद ही की जाएगी।
8. ठेकेदार को बडस्टिक, कटिंग रोग मुक्त पौधों से स्वयं बाग के सुपरवाइजर की निगरानी में काटने होगें।
9. फार्म कलम करने व अन्य कृषि कार्यों हेतु कोई भी औजार प्रदान नहीं करेगा सभी औजार ठेकेदार को स्वयं लाने होगें।
10. ठेकेदार को बडिंग/ग्राफ्टिंग के लिए दिये गये रूट–स्टाक का न्यूनतम 60 प्रतिशत पौधे तैयार करके देना होगा। यदि इससे कम पौधे बनते हैं तो इसकी भरपाई ठेकेदार के बिल से या धरोहर राशि से एक रूपया प्रति पौधा मूलवृन्त के आधार पर की जायेगी।
11. ठेकेदार को मूलवृन्त में बडिंग/ग्राफ्टिंग करने के बाद 25 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया जायेगा। शेष 75 प्रतिशत धनराशि का भुगतान पौधों में कम से कम 9'' के फुटाव आने पर जीवित पौधों की गिनती

Digitally signed by SUDHIR KUMAR TOMAR
Date: 2024.07.19 15:59:53 IST

करके किया कर दिया जायेगा। गिनती केवल जीवित कलमी पौधों की ही की जायेगी। बिल का भुगतान चेक द्वारा किया जायेगा।

12. यदि प्राकृतिक प्रकोप से कोई नुकसान होता है तो इसके लिये विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
13. कार्य आदेश मिलने के बाद ठेकेदार को फार्म के साथ 500 रूपये के बाण्ड पेपर पर एग्रीमेन्ट करना होगा। बाण्ड पेपर की कीमत ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।
14. ठेकेदार द्वारा या ठेकेदार के किसी भी कर्मी द्वारा फार्म की सम्पति में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा अगर ऐसा होता है तो नुकसान की भरपाई हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
15. आमंत्रित किसी भी निविदा को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ के पास सुरक्षित रहेगा।
16. ठेकेदार यदि आवंटित कार्य अपूर्ण छोड़कर जाता है तो यह कार्य किसी अन्य से करवा लिया जावेगा। इस कार्य को पूर्ण करवाने में अगर फार्म को कोई हानि होती है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार से कर ली जायेगी, साथ ही सम्पूर्ण धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी एवं किये गये कार्य का भुगतान भी नहीं किया जायेगा इसके अलावा कार्य को बीच में छोड़कर कर जाने पर आपके ऊपर डिबार सूचि में डालने की कार्यवाही की जा सकती है।
17. ठेकेदार पौधे तैयार करते समय प्रत्येक क्यारी को कार्य के दौरान कम से कम 8 बार निराई–गुड़ाई करायेगा।
18. फार्म के पास यह पूर्ण अधिकार होगा कि दिए लक्ष्य में पौधे बनाने की संख्या घटा या बढ़ा सकती है जिसके लिए ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
19. पौधों की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी।
20. किसी भी प्रकार का टैक्स यदि लागू है तो ठेकेदार को वहन करना होगा।
21. **उपरोक्त ई–निविदा में भाग लेने हेतु पार्टी का पैन कार्ड व आधार कार्ड होना आवश्यक है।**
22. कार्य के आवंटन के पश्चात आपको सभी कार्य निर्धारित समय पर उद्यान अधिकारी के दिशानिर्देशों के अनुसार पूरा करना होगा, निर्धारित समय पर किसी कार्य में 15 दिन से ज्यादा देरी होने पर फार्म को होने वाले किसी भी तरह के नुकसान का भुगतान ठेकेदार से की जाएगी साथ ही आपके ऊपर फार्म के नियम व शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
23. यदि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिनियम/नियम के अर्न्तगत किसी भी प्रकार की कोई अनुमति/औपचारिकता आवश्यक होती है तो ठेकेदार उक्त सौदे के सम्बन्ध में अपने खर्चे पर उक्त अनुमति प्राप्त करेगा। उल्लंघन की दशा में ठेकेदार स्वयँ जिम्मेवार होगा।
24. यदि उपरोक्त अनुबन्ध/करार की किसी उपबन्ध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष सह–प्रबन्धक निदेशक को सन्दर्भित किया जायेगा, जिनको यह अधिकार होगा कि वह स्वयँ अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक सोल आर्बिटेटर के द्वारा विवाद का निपटान आर्बिटेशन एन्ड कानसिलिएषन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अर्न्तगत कराये। पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बिटेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।
25. आर्बिटेशन एन्ड कानसिलिएशन के उपरान्त भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म की परिधि से सम्बन्धित होगा ।
26. उपरोक्त शर्तों को सुन–समझकर व पढ़कर बताया गया जो मुझे पूर्णतया स्वीकार है।

हस्ताक्षर
दिनांक

प्रभारी उत्पादन
कृते निदेशक

ठेकेदार का नाम..
पूरा पता...
....
पिन कोड..
मोबाइल नं0...

Digitally signed by SUDHIR KUMAR TOMAR
Date: 2024.07.19 15:59:53 IST